रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1169] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 27, 2017/वैशाख 7, 1939
No. 1169] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 27, 2017/VAISAKHA 7, 1939

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

(यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2017

का.आ. 1318(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है:

और, भारत सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है), फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों (एफएमटीटीआई), राज्य अभिचिन्हित संस्थाओं, भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर उपक्रमों (पीएसयू) राज्य सरकारों,भारत सरकार के स्वायत्त संस्थानों और राज्य सरकार के विभागों (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयक एजेंसी कहा गया है) को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए केंद्रीय सेक्टर स्कीम के रूप में कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन स्कीम (एसएमएएम) (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का कार्यान्वयन कर रही है।

और, मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता कार्यान्वयक एजेंसियों द्वारा किसानों, उद्यमियों और वैज्ञानिकों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) के लिए स्कीम निम्नलिखित घटकों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण और फसलोपरांत प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्र में कौशल के प्रोत्साहन और सुदृढ़ीकरण हेतु उपयोग की जाती है:

क प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण की उन्नति और सुदृढ़ीकरण, और

ख फसलोपरांत प्रौद्योगिकी और प्रबंधन (पीएचटीएम) का प्रदर्शन, प्रशिक्षण और वितरण;

और, पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्वलित है।

अत: अब, केंद्रीय सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता हैं, अर्थात:-

1. (1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए किसी भी पात्र व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह आधार के कब्जे में होने का सबुत प्रस्तुत करे या आधार अभिप्रमाणन प्रकिया पूरी करे।

(2) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति को जिसके पास आधार संख्याक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, **30 सितम्बर, 2017** तक आधार नामांकन के लिए आवेदन कराना आवश्यक होगा परंतु वह उक्त अधिनियम के खंड 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का/की हकदार है और ऐसे व्यक्ति पर आधार के लिए नामांकन कराने हेतु किसी भी आधार नामांकन केंद्र (www.uidai.gov.in में उपलब्ध सूची) में जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय अपनी कार्यान्वयक एजेंसियों के माध्यम से जिसके समक्ष किसी भी व्यक्ति को आधार प्रस्तुत करना आवश्यक है, को ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है के लिए आधार नामांकन सुविधाएं देना आवश्यक है और यदि आस-पास के क्षेत्र जैसे कि ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है तो मंत्रालय से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी कार्यान्वयक एजेंसियों के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के सहयोग से या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों में आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

परंतु उस समय तक जब तक कि व्यक्ति को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए स्कीम का फायदा प्रदान किया जाएगा, अर्थात:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसका/उसकी आधार नामांकन आईडी की पर्ची;

या

(ii) पैरा-2 के उप-पैरा (ख) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक:

(i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या

(ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) फोटो सहित बैंक या डाक घर की पासबुक; या

(vi) आधिकारिक लेटर हैड पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी फोटो वाला पहचान प्रमाणपत्र; या

(vii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(viii) किसान फोटो पासबुक; या

(ix) मंत्रालय द्वारा सक्षम / विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

परंतु यह और कि मंत्रालय द्वारा विशेषरूप से उस प्रयोजन के लिए नामानिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक तथा निर्बाध हकदारियों उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंत्रालय के कार्यान्वयक एजेंसियों के माध्यम से सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं अर्थात:

(क) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के कार्यालय के माध्यम से तथा इसकी कार्यान्वयक एजेंसियों के माध्यम से मीडिया तथा व्यक्तिक सूचनाओं के द्वारा व्यापक प्रचार करना ताकि फायदाग्राहियों को इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जा सके और यदि उन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें **30 सितम्बर,**

2017 तक अपने क्षेत्र के नजदीक उपलब्ध नामांकन केंद्र में आधार का नामांकन कराने के लिए सलाह दी जा सके। स्थानीय उपलब्ध आधार नामांकन केंद्रों (www.uidai.gov.in में उपलब्ध सूची) की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) आस-पास के क्षेत्र जैसे कि ब्लॉक या तालुका या तहसील में नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण फायदाग्राहियों के नामांकन कराने की असक्षमता के मामले में मंत्रालय के अधीन कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग कृषि विभाग को अपनी कार्यान्वयक एजेंसियों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों में आधार नामांकन सुविधाएं सृजित करना आवश्यक है तथा फायदाग्राही आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण जैसा कि पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट हैं मंत्रालय के अधिकारियों या कार्यान्वयक एजेंसियों के माध्यम से या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण करा सकते हैं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 13-13/2012-एमएंडटी (आईएंडपी) भाग-I]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

(MECHANIZATION AND TECHNOLOGY DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2017

S.O. 1318(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is implementing the Sub-Mission on Agricultural Mechanization scheme (SMAM) (hereinafter referred to as the Scheme) as a Central sector Scheme by providing financial assistance to Farm Machinery Training and Testing Institutes (FMTTIs), State Identified Institutions, Public Sector Units (PSUs) of Government of India, State Governments, Autonomous Institutes of Government of India and State Government Departments (hereinafter referred to as the Implementing Agencies);

And whereas financial assistance is provided by the Ministry is used by the Implementing Agencies for Promotion and Strengthening of skills in the area related to Agricultural Mechanization and Post-Harvest Technology to the farmers, entrepreneurs and scientists (hereinafter referred to as the beneficiaries) through the following components of the Scheme (hereinafter referred to as the benefits):

a. Promotion and Strengthening of Agricultural Mechanization through Training, Testing and Demonstration, and

b. Demonstration, Training and Distribution of Post Harvest Technology and Management (PHTM);

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for availing benefits under the Scheme is, hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, is hereby required to make an application for Aadhaar enrolment by 30th September, 2017 in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementation Agencies which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementation Agencies is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) Any one of the following documents:

(i) Voter Identity Card issued by the Election Commission of India; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card issue by the Income Tax Department; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(vi) Certificate of identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or

(vii) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(viii) Kisan Photo Passbook; or

(ix) Any other document as specified by the Ministry.

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementation Agencies shall make all required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices through the office of the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare and its implementing agency, shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest enrolment centre available in their areas by 30th September, 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available Aadhaar enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementation Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare through its Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 13-13/2012-M and T (I and P) Part. I]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2017

का. आ.1319(अ).— सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियो को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है:

और, भारत सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधीन संबंधित नोडल विभागों को वित्तीय सहायता देते हुए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का कार्यान्वयन कर रही है।

और, मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन संबंधित नोडल विभाग द्वारा किसानों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) के लिए स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) के निम्नलिखित घटकों के माध्यम से राज्य नोडल एजेंसियों या रजिस्ट्री कपंनियों, एजेंसियों या संगठनों या पैनलकृत कंपनियों, एजेंसियों या संगठनों (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयक एजेंसी कहा गया है) के द्वारा उपयोग की जाती हैं:

क कृषि मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता

ख कस्टम हायरिंग के लिए फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना

ग कस्टम हायरिंग के लिए हाई-टेक, उच्च उत्पादकता उपकरण केंद्र की स्थापना

घ चयनित गांवों में फार्म यंत्रीकरण को प्रोत्साहन

ङ कस्टम हायरिंग केंद्रों के माध्यम से क्रियान्वित यंत्रीकृत प्रचालनों हेतु प्रति हैक्टेयर के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता; और

च पूर्वोत्तर राज्यों में फार्म मशीनरी और उपकरण को प्रोत्साहन;

और, पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्वलित है अब,केन्द्रीय सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता हैं, अर्थात: -

1. (1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए किसी भी पात्र व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह आधार के कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति जिसके पास आधार संख्याक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है **30 सितम्बर, 2017** तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा परंतु वह उक्त अधिनियम के खंड 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का/की हकदार है और ऐसे व्यक्ति पर आधार के लिए नामांकन करने हेतु किसी भी आधार नामांकन केंद्र (www.uidai.gov.in में उपलब्ध सूची) में जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन संबंधित नोडल विभाग अपनी कार्यान्वयक एजेंसियों के माध्यम से जिसके समक्ष किसी भी व्यक्ति को आधार प्रस्तुत करना आवश्यक है, को ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, के लिए आधार नामांकन सुविधाएं देना आवश्यक है और यदि आस-पास के क्षेत्र जैसे कि ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है तो राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन संबंधित नोडल विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी कार्यान्वयक एजेंसियों के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के सहयोग से या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों में आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

परंतु उस समय तक जब तक व्यक्ति को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए स्कीम का फायदा प्रदान किया जाएगा, अर्थात-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसका/उसकी आधार नामांकन आईडी की पर्ची; या

(ii) पैरा-2 के उप-पैरा (ख) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक:

(i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या

(ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) फोटो सहित बैंक या डाक घर की पासबुक; या

(vi) आधिकारिक लेटर हैड पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी फोटो वाला पहचान प्रमाणपत्र; या

(vii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(viii) किसान फोटो पासबुक; या

(ix) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

1. परंतु यह और कि राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विशेष रूप से उस प्रयोजन के लिए नामानिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक तथा निर्बाध हकदारियों उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन कृषि विभाग अपनी कार्यान्वयक एजेंसियों के माध्यम से सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात:-

(क) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में कृषि विभाग के माध्यम से तथा इसकी कार्यान्वयक एजेंसियों के माध्यम से मीडिया तथा व्यक्तिक सूचनाओं के द्वारा व्यापक प्रचार करना ताकि फायदाग्राहियों को इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जा सके और यदि उन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें **30 सितम्बर, 2017** तक अपने क्षेत्र के नजदीक उपलब्ध नामांकन केंद्र में आधार का नामांकन कराने के लिए सलाह दी जा सके। स्थानीय उपलब्ध आधार नामांकन केंद्रों (www.uidai.gov.in में उपलब्ध सूची) की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) आस-पास के क्षेत्र जैसे कि ब्लॉक या तालुका या तहसील में नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण फायदाग्राहियों के नामांकन कराने की असक्षमता के मामले में राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधीन कृषि विभाग को अपनी कार्यान्वयक एजेंसियों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों में आधार नामांकन सुविधाएं सृजित करना आवश्यक है तथा फायदाग्राही आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण जैसा कि पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक यथा विनिर्दिष्ट हैं राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के संबद्ध अधिकारियों या कार्यान्वयक एजेंसियों के पास या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण करा सकते हैं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

[सं. 13-13-/2012-एमएंडटी (आईएंडपी) भाग-I]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April , 2017

S.O.1319(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is implementing the Sub-Mission on Agricultural Mechanization scheme (SMAM) (hereinafter referred to as the Scheme) as a Centrally Sponsored Scheme by providing financial assistance to the concerned nodal Departments under the State Governments and Union territory Administrations;

And whereas, the financial assistance provided by the Ministry is used by the concerned Nodal Department under the State Governments or the Union territory Administrations for the farmers (hereinafter referred to as the beneficiaries) through the State Nodal Agencies or Registered Companies, Agencies or Organizations or the Empanelled Companies, Agencies or Organizations (hereinafter referred to as the Implementing Agencies) through the following components of the Scheme (hereinafter referred to as benefits):

a. Financial Assistance for Procurement of Agriculture Machinery and Equipment

b. Establish Farm Machinery Banks for Custom Hiring

c. Establish Hi-Tech, High Productive Equipment Hub for Custom Hiring

d. Promotion of Farm Mechanisation in selected villages

e. Financial Assistance for Promotion of Mechanized Operations/hectare Carried out Through Custom Hiring Centres, and

f. Promotion of Farm Machinery and Equipment in North-Eastern Region;

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for availing benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, is hereby required to make an application for Aadhaar enrolment by 30th September, 2017 in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned nodal department under the State Government and Union territory Administration through its Implementation Agencies which require an individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned nodal department under the State Government and Union territory Administration through its Implementation Agencies is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) Any one of the following documents:

(i) Voter Identity Card issued by the Election Commission of India; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income Tax Department; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(vi) Certificate of identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or

(vii) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(viii) Kisan Photo Passbook; or

(ix) Any other document as specified by the State Government or Union territory Administration.

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Department of Agriculture under the State Governments and Union territory Administrations through its Implementation Agencies shall make all required arrangements including the following, namely:-

(c) Wide publicity through media and individual notices through the office of the Department of Agriculture in the State Government or Union Territory Administration and through its implementing agency shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest enrolment centre available in their areas by 30th September, 2017 in case they are not yet enrolled. The list of locally available Aadhaar enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(d) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department of Agriculture under the State Governments and Union territory Administrations through its Implementation Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials of the State Government and Union territory Administration or the Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[No. 13-13/2012-M and T (I and P) Part.I]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.05.04 10:21:01 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.